

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी:-डॉ० अरूण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 335/2025

इंडसइंड बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय नं० 34, जी०एन० चेटी रोड, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय 5वीं मंजिल, यूनिफ एस्पायर बिल्डिंग, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी निहाल सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह

— प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री मनीष पुत्र करणी राम, निवासी वीपीओ वार्ड नं० 7, बास बीसाणा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं राज० 333026
2. श्री राजीव कुमार पुत्र विद्याधर, निवासी ग्राम लोडीपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं राज० 333028

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 ( केन्द्रीय धारा 54/2002 )

उपस्थित:-

एडवोकेट श्री परिवेश कुमार- प्रार्थी की ओर से

**आदेश**

दिनांक 21.08.2025

प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के यहां Auto Loan के लिए प्रस्ताव किया और अप्रार्थी की प्रार्थना पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को उक्त वित्तीय सहायता प्रदान की। चूंकि अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की किश्तों का भुगतान नियमानुसार नहीं किया गया है इसलिए बंध सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते एवं बैंक द्वारा सरफेसी की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:-

Sr. No.	Particulars	Details
1	वित्तीय संस्था का नाम	इंडसइंड बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय नं० 34, जी०एन० चेटी रोड, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय 5वीं मंजिल, यूनिफ एस्पायर बिल्डिंग, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी निहाल सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह
2	ऋणी का नाम व पता	श्री मनीष पुत्र करणी राम, निवासी वीपीओ वार्ड नं० 7, बास बीसाणा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं राज० 333026
3	सहऋणी का नाम व पता	श्री राजीव कुमार पुत्र विद्याधर, निवासी ग्राम लोडीपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं राज० 333028
4	ऋण खाता संख्या	RJH01431L दिनांक 27.09.2023
5	कुल ऋण राशि	9,89,190/- ( अक्षरे नौ लाख नवासी हजार एक सौ नब्बे रुपये मात्र )
6	ऋण किस्म	Auto Loan
7	एन०पी०ए० दिनांक	22.05.2025
8	ऋणी व सहऋणी को सरफेसी को सरफेसी एक्ट के तहत भिजवाये गए नोटिस धारा 13( 2 ) की एवं तामिल संबंधी दस्तावेजात्	23.05.2025
9	धारा 13( 2 ) के तहत मांगी गई कुल राशि	8,39,978.8/- मात्र ( अक्षरे आठ लाख उनचालीस हजार नौ सौ अठहत्तर रुपये आठ पैसे मात्र )
10	ऋण के बदले रहन/हाईपोथिकेट रखा गया वाहन अथवा सम्पत्ति का ववरण	बोलेरो पिकअप वाहन सं० RJ-18-GC-5961 जिसके इंजन नं० TTP1H41628 एवं चेचिस नं० MA1ZC4TTKP1H66220 है।

  
जिला कलक्टर झुंझुनूं


सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र सलंग्न है। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम की धारा 14 के तहत सहायता प्राप्त कर अप्रार्थी ऋणी से बंधक सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि अप्रार्थी/ऋणी बंधक सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन का भौतिक कब्जा संभलवाने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी बैंक प्राधिकृत अधिकारी के जरिये स्थानीय पुलिस थाना की सहायता से बंधक सम्पत्ति हाईपोथिकेट वाहन का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त बंधक सम्पत्ति/हाईपोथिकेट वाहन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ( आर0टी0ओ0 ) के कार्यालय में पंजीकृत होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण/ऋणी को न्यायालय द्वारा कोई सूचना/नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी बैंक माननीय न्यायालय से निम्न प्रार्थना कर अनुतोष चाहती है ( क ) यह कि प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत बंधक/हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति/वाहन का भौतिक कब्जा लेने हेतु संबंधित थाने से आवश्यक पुलिस ईमदाद प्राप्त करने के आदेश दिये जावे। ( ख ) यह कि पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु संबंधित पुलिस थाना को तहरीर जारी की जावे। ( ग ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उचित एवं आवश्यक हो।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अप्रार्थीगण की बोलेरो पिकअप वाहन सं0 RJ-18-GC-5961 जिसके इंजन नं0 TTP1H41628 एवं चेचिस नं0 MA1ZC4TTKP1H66220 है का पजेशन प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 ( डॉ० अरुण गर्ग )  
 जिला कलक्टर एवं  
 जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू  
 जिला कलक्टर झुंझुनू